

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति(पुनर्वावलोकन) द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)(ए)के अनुरूप ग्रुप डी-11 में संवर्गित प्रधानाध्यापक (मावि) एवं समकक्ष पद (ग्रुप-एफ) की वर्ष 2017-18 की रिव्यू डीपीसी की अभिशंषा के आधार पर पूर्व के वर्षों में चयनित कार्मिकों का चयन इस कार्यालय के आदेशांक:- शिविरा/मा/संस्था/बी-111/प्रधानाध्यापक/रिव्यू डीपीसी/2017-18 दिनांक:- 27.04.2018 द्वारा चयन को निरस्त किया गया है।

उपरोक्त चयन निरस्त आदेश में से संलग्न सूची में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम (चयन निरस्त करने का कारण) में उल्लेखित विवरण के आधार पर तत्काल प्रभाव से पदावनत किया जाता है। उक्त सभी कार्मिकों को पाबन्द किया जाता है कि वे गत धारित पद पर पदस्थापन हेतु आदेश की पालना में तत्काल कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति दिनांक 01/10/2019 तक अपने नाम के सामने अंकित सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा कार्यालय में देवें।

संबन्धित संस्था प्रधान कार्यग्रहण/कार्यमुक्त की कार्यवाही शालादर्पण के माध्यम से ही सुनिश्चित करेंगे। इसका समस्त उत्तरदायित्व संबन्धित संस्था प्रधान का ही होगा। संलग्न सूची के अनुसार(क.सं. 1 से 06 तक)


(नथमल डिंडेल)

आई.एस.

निदेशक माध्यमिक

शिक्षा राजस्थान बीकानेर


दिनांक: 20/09/2019

11-12-20

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/बी-1/प्र0अ0 रिवर्ट/रिव्यू डीपीसी/-2017/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

01. शासन सचिव-शिक्षा, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर
04. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
05. संबन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा को पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त पदावनत वरिष्ठ अध्यापकों को जरिये काउंसिलिंग पदस्थापन की कार्यवाही करावें।
06. संबन्धित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय-माध्यमिक/प्रारम्भिक
07. संबन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, को पाबन्द किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशानुसार आदेश की पूर्ण पालना सुनिश्चित करावें।
08. संबन्धित संस्था प्रधान।
09. संबन्धित पदावनत कार्मिक को पाबन्द किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशानुसार शाला दर्पण में अपने से संबन्धित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से करते हुए कार्यमुक्त की कार्यवाही करें एवं निर्धारित तिथि तक अपने नाम के सामने अंकित संबन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा कार्यालय में अपनी उपस्थिति देवें ताकि जरिये काउंसिलिंग आपके पदस्थापन की कार्यवाही अमल में लाई जावें।
10. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ प्रभारी बी-3
11. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक-कार्मिक

:: कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ::

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/बी-1/45001/प्र0अ0रिवर्ट/ रिव्यू डीपीसी 11-12से17-18/2018

दिनांक:-20/09/2019

क्रसं	वरिष्ठता क्रमांक	वरिष्ठता अवधि	नाम अभ्यर्थी	जन्मतिथि	पद	पदस्थापन स्थान	पु/म	वर्ग	चयन वर्ष	चयन निरस्त करने का कारण	संबंधित संयुक्त निदेशक		
1	1221	0	1992-93	सुरेश कुमार	20-02-1968	Headmaster	GOVT.SEC.SCH. PRATAPPURA	GANGANAGAR	M	SC	2016-17	उक्त वरिष्ठता विलोपित	BIKANER
2	2408	0	1990-91	BRIJLAL	10-07-1966	Headmaster	GOVT. SEC. SCHOOL, BARI (SIKAR)	SIKAR	M		2017-18	मण्डल परिवर्तित होने से वरिष्ठता विलोपित	CHURU
3	2417	0	1990-91	MANGAL SINGH	29-11-1966	Headmaster	GOVT.H.R.RUIA SEC.SCH., RAMGARH SHEKHAWATI	SIKAR	M		2017-18	मण्डल परिवर्तित होने से वरिष्ठता विलोपित	CHURU
4	884	0	1991-92	KANHAIYALAL TAILOR	26-10-1966	Headmaster	GOVT. SEC. SCHOOL MATUNIYA	BHILWARA	M		2017-18	मण्डल परिवर्तित होने से वरिष्ठता विलोपित	AJMER
5	1408	0	1991-92	RAMPRATAP BHAMBHU	16-10-1966	Headmaster	GSS RAMGARHIA	HANUMANGA RH	M		2017-18	मण्डल परिवर्तित होने से वरिष्ठता विलोपित	BIKANER
6	1638	0	1994-95	जयवीरसिंह	28-11-1969	Headmaster	G.S.S. GHUMANSAR KALAN	JHUNJHUNUN	M	SC	2017-18	मण्डल स्थानान्तरण 1999 में होने से	CHURU



(नथमल डिंडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर